

NAVY (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): Sir, I move that the Bill further to amend the Navy Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

This is a simple Bill of an enabling nature. It does not contemplate any drastic or violent change in the Navy Act. The Navy Act came into force in March, 1958. It is our experience over its working for the last sixteen years that this Bill is found to be defective and deficient in certain respects. For the last so many years, the Air Arm is very much a part of the Navy. But the Act has no provision to cover offences pertaining to naval airmen or naval aircraft. The Act does not make it obligatory for the employers to take back their employees who as naval reservists completed their period of training or active service in the Navy. The Act again does not provide for the power of dismissal with Government in regard to a naval person who is found guilty of criminal charges. This provision is already there in the Army Act and in the Air Force Act. So we want to extend it to the Navy Act also.

Then there is the question of adequate coverage of offences. For example, there is provision for punishing a naval person who neglects to perform his duty but there is none for punishing a naval person who does not perform his duty at all.

Again there are some definitional lacunae in regard to words like 'drunkenness', 'mutiny', 'naval establishment' and 'petty officer'.

The qualifications for Judge Advocate General and Deputy Judge Advocate General are too rigid at present to accommodate experienced and competent naval officers. This Bill seeks to remedy this lacuna and to provide for its better functioning. I move.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Navy Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

श्री झारखण्ड राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, यह विधेयक बहुत सौधारण है और मैं उन की इस बात से सहमत हूँ। इस विधेयक के द्वारा पुराने कानून में किसी बुनियादी परिवर्तन की व्यवस्था नहीं की गई है। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमारी नेवा का महत्व बहुत बढ़ गया है। यूँ तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं, जो तीन तरफ पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में दक्षिण में समुद्र हमारी रक्षा का एक प्रहरी था। लेकिन यूरोपीय साम्राज्यवाद के उदय के बाद हमारे समुद्र छोटे छोटे गड्डों के समान हो गये और यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपनी ज्यादा जल शक्ति के द्वारा हम पर अक्रमण करना शुरू किया। दासता के युग में और हमारा तय-कबित रक्षा किया करते थे। जब भी दूसरे साम्राज्यवादी देशों के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण की सम्भावना होती, तो उस समय और हमारे मुल्क की रक्षा करते थे, क्योंकि हम उन के दास थे।

लेकिन 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद पूरे देश की स्थिति में एक युवात्मक परिवर्तन हो गया और अब हमें न किसी दूसरे देश का रक्षा का अवलम्बन करना है और न किसी का मुँह देखना है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिस तरह हम ने अपनी स्वयं सेना और नव सेना को सुसज्जित करना है, उसी तरह हमें अपनी जहाजों सेना को भी इस प्रकार से मजबूत करना है। तभी हम अपने मुल्क को किसी भी बाहरी खतरे से रक्षा कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ पिछले युद्ध में हमारे जहाजी बेड़े ने बहुत ही —

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it necessary to go into all those details and background?

SHRI JHARKHANDE RAI: This is simply introduction.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it necessary at all?

श्री झारखंडे राय : पाकिस्तान से युद्ध के समय हमारे जहाजों बड़े ने जो ऐतिहासिक कार्य किया और हमारे देश की रक्षा और बंगला देश की स्वतंत्रता प्राप्त कराने में जो योगदान दिया वह एक बहुत ही अनोखे अध्याय रहा है ।

इन कालों में जो कुछ संगोष्ठन रखे गए हैं उन के विषय में मंत्री जी ने जिन बातों की चर्चा की है वह बहुत जरूरी चीजें हैं । 1957 के कानून के बाद इधर जो अनुभव उन के कार्यान्वयन से प्राप्त हुआ है उसी रीति में इस में संगोष्ठन पेश किए गए हैं । लेकिन मैं समझता हूँ कि इस में और अधिक संगोष्ठनों की जरूरत है और अपनी नेवी तथा अपने जहाजों मल्लाहों को ज्यादा सुसज्ज करने, उन्हें अधिक अनुशासित बनाने, उन के अन्दर सामरिक चेतन्यता और बढ़ाने के लिए इस से बड़े किसी संगोष्ठन विषयक की जरूरत है । यह बहुत जल्दी में बनाया हुआ कानून है । आज भी हिन्द महासागर खतरे से खाली नहीं है । हम सभी इस बात से परिचित हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध पर जब से अमेरिकी साम्राज्यवाद ने अपना सामरिक अड्डा बनाने और उसे अधिक अस्त्रों से सुसज्ज करने का फैसला किया है तब से हमारे देश की ही नहीं बल्कि हिन्द महासागर के दूसरे नव-स्वतंत्र देशों की स्वतन्त्रता के लिए एक खतरा पैदा हो गया है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि स कानून में काम्प्रोमिसिव चर्चे किए जायें । जिन परिवर्तनों की सूचना इस में दी गई है वे बहुत नाकाफी हैं ? क्या कि असंतुष्ट नेवी और असंतुष्ट जहाजों मल्लाहों को लेकर कोई बहुत मजबूत जन सैनिक शक्ति नहीं बन सकती इसलिए जो संशोधन इस में सुझाए गए हैं वे बहुत नाकाफी हैं । उन से जो हम चाहते हैं वह पूरा नहीं हो सकता ।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे जहाजी मल्लाह हैं उन को सशस्त्रों के बारे में उनकी, तनख्वाह और मंडगार्ड भत्ते के बारे में जो दूसरी सरकारी नौकरियों या अर्द्ध-सरकारी नौकरियों में चीजें प्राप्त हैं उन को कहीं इस में चर्चा नहीं की गई है या कहीं चर्चा है तो वह बहुत ही कम है । इसलिए मैं इस बात का आग्रह करता हूँ कि इन बिज को अगर वह वापस न ले सकें तो पास करा लें लेकिन बहुत जल्दी एक काम्प्रोमिसिव बिज ला कर अपनी सेना के इस एक अंग को हर तरीके से सुपुर्ज करें ताकि किसी भी बाहरी आक्रमण या खतरे का हमारा देश और हमारी जहाजी सेना मुकाबला कर सके । इन शब्दों के साथ आम तौर पर इन सुझाए गए परिवर्तनों का मैं समर्थन करता हूँ ।

श्री भारत सिंह चौहान (भार): अध्यक्ष महोदय, इस बिज का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि यह शाली कुछ सुधार जरूर करता है कुछ आवाजों के बाद लेकिन बहुत बिजम्ब से वह सुधार करता है । पिछले वर्ष में देश की आवाज सुधार किए उन के न होने से काफी नुस्तान हुआ है । इस में कोई शक नहीं कि इस में जो सुझाव दिए हैं वह काफी कुछ अनुशासनात्मक हैं और अधिकारियों के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए हैं । ये परिवर्तन स्वागत योग्य हैं । लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा । भारत का समुद्र तट एक महान तट है और उस को जितना शक्तिशाली और समृद्धि शाली आज की परिस्थितियों में बनाना चाहिए वह इन छोटे छोटे सुधारों से नहीं बनाया जा सकता । छोटे छोटे से देश भी आज हिन्द महासागर में अपने जहाजों बड़े को उतारने का कोशिश कर रहे हैं । छोड़ें बिज बड़े शक्तियों के बारे में, लेकिन एक छोटा सा देश भी इस बात पर विचार करने लगा है । तो भारत वर्ष का समुद्र तट तो हजारों मील लम्बा है और उस के चारों तरफ आज ऐसी परिस्थिति है कि पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, रूस और जादना ये सभी

[श्री भारत सिंह चौहान]

हिन्द महासागर पर अपनी प्राधिपत्य जमाने का कुछ इन्टेंशन कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भारत बर्ष की नेरी शक्ति कितनी है और आन्तरिक मामलों में भी इन की क्या हालत है उस का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यह जिस वक्त मैं नेरी म्यूटिनी हुई थी उस वक्त का उदाहरण है। नेरी म्यूटिनी जब हुई थी तो एक छोटी सी बात पर हुई थी। वहाँ देहात के जो सिपाही थे वे बड़े अनुभवों थे। उस युद्ध के बाद उन का बहुत बड़ा अनुभव था। लेकिन वहाँ आन्तरिक व्यवस्था में गड़बड़ हुई और जो भारतीय नौसैनिक थे, आफिनर लोगों ने उन का अपमान किया था। यहाँ तक कि उन के अपने राशन के बारे में या उन की इज्जत के बारे में, विदेशी लोग जो उन के आफिनर होते थे, उन्होंने उनका अपमान किया और एक उस अपमान को वह से हो वह जो म्यूटिनी हुई थी उस ने एक भयंकर रू. वारण कर लिया था जो इस आन्तरिक व्यवस्था के बारे में और अनुशासन के बारे में हम को कितना होशियार रहने की आवश्यकता है। अगर यह व्यवस्था और अन्दर की अनुशासन ठीक ढंग से नहीं रखा गया तो एक बहुत बड़ी चिन्मारी पैदा हो सकती है जिस का उदाहरण यह नेवी म्यूटिनी है। मैं शासन से यह अनुरोध करूँगा कि इन पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपनी नेवी की शक्ति को अन्दर की और बाहर दोनों ओर इन तरह से सुसज्जित करने की आवश्यकता है जिस से भारत का स्व भिमान ऊंचा उठ सके और किसी दुश्मन को यह हिम्मत न हो सके कि वह हिन्द महासागर के अंदर या हमारे देश पर कहीं हमला करने का बिनाप भी कर सके। इन प्रकार की हमारी नेवी शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन वह केवल छोटे मोटे ऐसे सुधार करने से नहीं हो सकती है, उस के लिए एक व्यापक बिल की आवश्यकता है। आज की के बाद इस का पूरा अनुभव और अध्ययन करने के बाद उस के आधार पर एक व्यापक बिल इसके लिए लाने के लिये आवश्यकता

यही मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूँ। इतने सालों के बाद जो ये छोटे मोटे कुछ सुधार रहे गए हैं वे स्वागत योग्य हैं इन में कोई शंका नहीं। लेकिन हमारा अनुरोध है कि हम को और इस के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। उस म्यूटिनी के वक्त मैं बम्बई में था तो अन्दर की बातें मैं ने देखी थी कि क्यों वह म्यूटिनी हुई। तो इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक व्यापक बिल इन के लिए लाने की आवश्यकता है, यही मेरा निवेदन है। इन सुधारों का मैं स्वागत करता हूँ।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) :
डिप्टी स्पोकर्स साहब, इस अमण्डिंग बिल पर बोलते हुए मुझे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा है कि सरकार को एक कम्प्रोहेंसिव बिल लाना चाहिये, मैं भी उन के इस सुझाव का समर्थन करता हूँ और महसूस करता हूँ कि कम्प्रोहेंसिव बिल लाना बहुत जरूरी है। इस तरह के पोस-मोल अमण्डमेन्ट लाना कोई अच्छा काम नहीं है।

यह एक एक बहुत पुराना एक्ट हो गया है, इसमें बहुत से परिवर्तन हो गये हैं, नेवी में भी तबदीली आई है। आज जो हमारे बाहर के दुश्मन हैं उन्होंने इण्डियन ओसा में जगह-2 अपने अपने बनाने शुरू कर दिये हैं जिस से हमारे देश के लिये खतरा पैदा हो गया है। इन तमाम दृष्टिकोणों को समाने रख कर कम्प्रोहेंसिव बिल लाना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी नेवी को उन खतरों का मुकाबला करने के लिये तैयार कर सकें।

आप जानते हैं कि हमारी नेवी हमारी कोस्टल एरिया की समुद्र में देख भाल कर रही है। मैं चाहता हूँ कि हम इन की सेवाओं का इस्तेमाल स्मरलस के खिलाफ भी करें। स्मरलस के बारे में हम ने सुना है कि उन के पास ऐसे ऐसे जहाज हैं, स्पेंड बोइन हैं जो फ्रेंच समुद्र में घूमते रहते हैं और माव को स्मरल कर के इन देश में लाते हैं। इन की

रुकनाम के लिये अपनी नेवी को तैयार करना चाहिये और इस काम के लिये यूटिलाइज करना चाहिये ।

नेवी हमारे देश में एक ऐसा संस्थान है जिस को बड़ी भारी जिम्मेदारी है, इस लिये जरूरी है कि उन की तनख्वाहों, फैसिलिटीज और सविन कण्डोशन्ज में भी ग्रामूल परिवर्तन होना चाहिये । उन की रिहाइज, ट्रेनिंग और सविन कण्डोशन्ज इस तरह की हो, जिस से वे जोग सैटिस्फाइड रह सकें । अगर हम इन की सविन कण्डोशन्ज में दूसरे गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स की सविन कण्डोशन्ज को लागू करेंगे तो उन से काम नहीं चलेगा । इन की सविन कण्डोशन्ज अदर-फैसिलिटीज, डोअरनेस एलाउन्स बरकरार की तरफ आप को खास तौर से ध्यान देना चाहिये ।

आप जानते हैं कि आज यू० एस० इम्पीरियलिज्म किस तरह से एक तरफ बोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ इंडियन प्रीशन में अपने प्रभु बनाने जा रहा है जिस से न सिर्फ हमारे देश को बल्कि दूसरे छोटे-छोटे देशों के लिए खतरा पैदा हो गया है । एक प्रजीव सी बात है कि एक तरफ बोस्ती की बात हो रही है, दूसरी तरफ डण्डा ले कर खड़े हो गये हैं, हमारे देश और दूसरे छोटे-छोटे देशों के सामने खतरा ला कर खड़ा कर दिया है । हमें इन तमाम चीजों की तरफ गौर करना चाहिये और अपनी नवी को इस तरह की शिस्त देनी है जिस से हमारे नौजवान इन खतरों का मुकाबला कर सकें और अपने देश की हिफाजत कर सकें । ऐसी चीजों को रोकना चाहिये कि हमारे मस्तान या चार पांच स्मगलरों को पकड़ लिया, लेकिन उन की स्पीड बोट

समुद्र में घूमती रहें और अपना काम करती रहें । हमें अपनी नेवी का इस्तेमाल इनको रोकने के लिये भी करना चाहिये । हम ने दूसरे सोशलिस्ट मुल्कों में देखा है कि उन की नेवी सिर्फ लड़ाई में ही काम नहीं करती, बल्कि उनसे देश की उन्नति के दूसरे कामों में भी काम लिया जाता है ।

मैं नेशनल शिपिंग बोर्ड का मॅम्बर हूँ, वहाँ नेवन के रिप्रेजेन्टेटिव भी हैं । मैंने उन से पूछा । उन्होंने मुझे बतलाया कि कानून में ऐसे बहुत से संक्सज हैं जिन में तब्दीली की जरूरत है । मिसाल के तौर पर जब कोई जहाज खतरे में पड़ जाता है और उस की इन्फार्मेशन प्राप्ती है, नेवल के कमाण्डरों के पास ऐसे कोई साधन नहीं है जिस से वे फौरन पहुंच कर उसकी मदद कर सकें और जब तक वहाँ पहुंचते हैं तब तक वह जहाज डूब जाता है । उन्होंने कहा कि कानून में ऐसी तब्दीली होनी चाहिये जिस जिस वजह भी हम लोगों को मालूम हो कि फका जहाज खतरे में है, उस का वायरलेस मिलते ही हम सीधे वहाँ जा सकें और उन लोगों को बचा सकें । इस कानून के अन्दर इस तरह की तमाम फैसिलिटीज होनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मुझाब का समर्थन करता हूँ कि सरकार को फौरन एक कम्प्ली हेन्सिव बिल लाना चाहिये ।

SHRI J. B. PATNAIK: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the hon. Members for their general observations on this Bill. There has been a demand for a comprehensive Bill to be brought forward before this House. Hon. Members should know that the Navy Act, 1957, was a very comprehensive Act. It provides for the terms and conditions of service of naval per-

[SHRI J. B. PATNAIK]

sonnel. It lays down comprehensive provisions for the discipline of officers and sailors. It lays down the procedure for trial, by court martial and by the commanding officers also. The present Bill, as I said earlier, is of an enabling nature. Certain defects and deficiencies were found in our working of the Act for the last fifteen years and this amending Bill only seeks to remove those defects and deficiencies.

As regards the defence of our coastline the Government is quite aware of its responsibility. Our expenditure on the navy has been increasing over the years and the percentage of our expenditure over the navy out of the total expenditure on all the services would go to prove that the Government is very much aware of strengthening our navy. We are now producing modern frigates and strengthening our naval base. The work on our Goa naval base, the programme for expanding the naval dock yards at Visakhapatnam and at Bombay are very much in progress. Besides, in regard to the Andaman and Nicobar islands we are taking special care to see that they are adequately defended. The navy has come out with flying colours in the last war with Pakistan and we have proved beyond doubt that whenever any hostile country casts its evil eye on us, our navy is well-prepared, just as the army and the air force, to face it.

As far as the Indian Ocean is concerned, the policy of the Government of India is very clear in this respect. We want the Indian Ocean to be a peace zone and all the littoral countries subscribe to this view.

With these words, I move this Bill for consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Navy Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

14.59 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT

ALLEGED FAILURE OF GOVERNMENT TO PREVENT ASSAULT BY CENTRAL POLICE, ETC. ON SATYAGRAHIS AT PATNA

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, before we take up the adjournment motion I want to make a submission. The mover of the adjournment motion is Shri Shyamnandan Mishra.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The listed mover; he has not moved it yet.

SHRI S. M. BANERJEE: I have before me *The Statesman* dated 6th November 1974 which says in banner headlines:

"A fortnight ago Mr. S. N. Mishra informed Mr. Narain that before the Bihar bandh from October 3 to 5, Mrs. Gandhi wanted him to explore the minimum demands on the basis of which Mr. Narain would withdraw the Bihar agitation. Mr. Mishra says that he told Mrs. Gandhi that he was now in the opposition and that she should nominate an emissary from her party. Mrs. Gandhi, so the version goes, asked Mr. Mishra to suggest a name. He suggested the name of Mr. Dinesh Singh . . ."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why is he mentioning all that now? He can refer to it during the course of the discussion of the motion.

SHRI S. M. BANERJEE: I am only submitting that since it is a delicate matter and as he is negotiating on behalf of Mrs. Gandhi, he should not initiate the discussion. Let him deny it.

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him move his adjournment motion.

Mr. Banerjee, you have made the point. I think, he has taken note of the point.